तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-4-15	वकील अपीलार्थी उपस्थित है। मूल नामान्तरकरण अप्राप्त है। पुनः स्मरण पत्र जारी किया जाकर मूल नामान्तरकरण मंगवाया जावे। पत्रावली दि० 21-5-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
21-5-15	वकील अपीलार्थी उपस्थित है। श्रीमान् उ०ज०म० अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली लोक अदालत में सुनवाई हेतु दि० 16-6-15 को कैम्प कुचोलाई पर पेश हो। (हस्ताक्षर)	18-5-15 27/5/15
16-6-15	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नवलकिशोर उप० है। अपीलार्थी को सुना गया। अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं० 47 दि० 22-6-89 खारिज किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार तलावडा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	
(हस्ताक्षर) Naval		

निर्णय न्यायालय श्री मुनदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर
एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
15/2012	08.08.2012	16.06.2015

1. नवलकिशोर पुत्र भजन जाति गुर्जर निवासी बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी हाल वासी ग्राम ऐवरा तहसील मलारनाडूंगर
2. दाखां बेवा भजन जाति गुर्जर निवासी बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी हाल वासी ग्राम ऐवरा तहसील मलारनाडूंगर ——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी
2. जगन पुत्र सामलिया जाति गुर्जर निवासी बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 22.06.1989
ग्राम बूचोलाई तहसील गंगापुर सिटी

उपस्थित:— श्री नवल किशोर गुर्जर, अपीलार्थी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम बूचोलाई में स्थित भूमि ख0नं0 665 रकबा 84 एयर की खातेदारी सामलिया पुत्र देवीराम गुर्जर के नाम थी। जिनकी मृत्यु होने के बाद इस भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अकेले जगन पुत्र सामलिया के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि मृतक सामलिया के दूसरा पुत्र भजन भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं अपीलार्थीगण उसके वारिस हैं। पटवारी हलका द्वारा विरासत का जो नामान्तरकरण भरा गया वह गलत रूप से भरा गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी गलत रूप से इसे स्वीकार कर लिया गया जबकि मौके पर आज भी अपीलार्थीगण का भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 22.6.89 निरस्त किया जावे एवं तहसीलदारजी गंगापुर को आदेश दिए जावें कि वे भूमि ख0नं0 665 रकबा 84 एयर जिसका नया नम्बर 512 रकबा 84 एयर ग्राम बूचोलाई है, का नामान्तरकरण हिस्सा 1/2 अपीलार्थीगण के नाम व 1/2 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के नाम दर्ज करें।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलव किया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने नकल नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 22.6.89, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी सं0 2065 से 2068 ग्राम बूचोलाई, नकल जमाबंदी सं0 2063 ग्राम पनियाला तहसील मलारनाडूंगर पेश की है।

उप जिला कलेक्टर

उपस्थित अपीलार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 22.6.89 द्वारा सामलिया की किस्मत का नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 जगन के नाम दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी सं0 2063 ग्राम पनियाला तहसील मलारनाडूंगर के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामलिया के वारिस अपीलार्थीगण नवलकिशोर पुत्र भजन, दाखा पुत्र भजन व जगन पुत्र सामलिया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण अकेले रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के नाम जो दर्ज किया गया है वह गलत दर्ज किया गया है एवं अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 22.6.89 ग्राम बूचोलाई निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण नायब तहसीलदार तलावडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। पक्षकारान दिनांक 3.7.2015 को नायब तहसीलदार तलावडा के न्यायालय में उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार तलावडा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी